



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7448

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आदेश से प्रथम अपील संख्या 1995/2024

श्रीमती मुग्गा देवी एवं 4 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मकखन सिंह एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता :मोहम्मद आसिम जुल्फिकार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :नागेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन,

- यह अपील दावाकर्ताओं द्वारा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत, मुआवज़े की राशि बढ़वाने के उद्देश्य से दायर की गई है। यह अपील मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 253/2018 (श्रीमती मुग्गा देवी और अन्य बनाम मकखन सिंह और अन्य) में दिनांक 12.07.2024 को पारित किए गए निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध है। इस मुकदमे में, दिनांक 07.02.2018 को हुई एक सड़क दुर्घटना में जयप्रकाश सिंह की असामयिक मृत्यु के लिए, दावाकर्ताओं (पत्नी और पुत्रों) को 4,76,620/- रुपये का मुआवज़ा, साथ ही 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिए जाने का आदेश दिया गया था; और यह भी आदेश दिया गया था कि इस राशि का भुगतान (क्षतिपूर्ति) दोषी वाहन संख्या यूपी-21-बीके-5747 के बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- चूंकि दोषी वाहन के मालिक, चालक और बीमाकर्ता की ओर से कोई प्रति-अपील नहीं की गई है, इसलिए दुर्घटना और दोषी चालक की लापरवाही के तथ्य पर प्रतिवादियों द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है।
- दावाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद आसिम जुल्फिकार की ओर से श्री अभिषेक त्रिपाठी पेश हुए, ने यह तर्क दिया कि जयप्रकाश सिंह (मृतक) एक पेंशनभोगी थे, जिन्हें प्रति माह 23,936/- रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी और दुर्घटना के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष थी; इस तथ्य को दावाकर्ताओं द्वारा विधिवत सिद्ध भी किया गया था। परंतु, इस आधार पर कि मृतक की पत्नी को प्रति माह 14,900/- रुपये की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, अधिकरण ने मुआवज़े की "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गणना केवल 9,036/- रुपये की अंतर राशि पर की है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि **हनुमानथाराजू बी. (विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से) बनाम एम. अकरम पाशा और अन्य, 2025 एससीसी Online SC 1106** मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, मुआवज़े का आकलन दुर्घटना के समय मृतक को प्राप्त पेंशन के आधार पर किया जाना चाहिए था, और अधिकरण को दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी को दी गई पारिवारिक पेंशन पर विचार नहीं करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-A** को ध्यान में रखते हुए, दावेदार मृतक की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर 20% की दर से मुआवज़ा पाने के भी हकदार थे, परंतु अधिकरण ने इस मद में कोई मुआवज़ा नहीं दिया है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि अधिकरण ने गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत मुआवज़े की अपर्याप्त राशि प्रदान की है, जिसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। इन निवेदनों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील को स्वीकार किया जाए और दावेदारों को बढ़ी हुई मुआवज़े की राशि का भुगतान किया जाए।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 73 वर्ष थी, और उनके पास भविष्य की कोई संभावनाएँ नहीं थीं; साथ ही, मृतक की पत्नी को भी 14,900/- रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, जिसे अधिकरण ने मुआवज़े का आकलन करते समय मृतक की पेंशन में से सही तौर पर घटा दिया था। अतः, दावाकर्ता अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवज़े में किसी भी प्रकार की वृद्धि के हकदार नहीं हैं, और यह अपील इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की पात्र नहीं है। इन तर्कों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि यह अपील सारहीन है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, और अपील के साथ प्रस्तुत किए गए विवादित निर्णय तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **सेबेस्टियानी लाकरा और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2019) 17 SCC 465, (3 न्यायाधीशों द्वारा)** के मुकदमे में, मुआवज़े के आकलन के लिए काटी जाने वाली राशि पर चर्चा करते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया है:

12. यह विधि भली-भांति स्थापित है कि मुआवज़े की राशि में से किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती चाहे वह बीमा के कारण हो, या पेंशन संबंधी लाभों, ग्रेच्युटी, अथवा मृतक के किसी परिजन को रोज़गार दिए जाने के कारण हो। इसका मुख्य कारण यह है कि ये सभी राशियाँ मृतक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ने दूसरों के साथ किए गए संविदात्मक संबंधों के आधार पर अर्जित की थीं। यह नहीं कहा जा सकता कि ये राशियाँ किसी मोटर वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के कारण मृतक के आश्रितों या कानूनी वारिसों को प्राप्त हुई थीं। मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप, दावेदार/आश्रित मोटर वाहन अधिनियम के तहत 'उचित मुआवज़े' के हकदार हैं। इसलिए, इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि किसी ऐसे अनुबंध या कार्य के परिणामस्वरूप, जिसे मृतक ने अपने जीवनकाल में किया था, मृतक की संपत्ति या उसके आश्रितों को जो लाभ प्राप्त होता है, उसे मृतक की मृत्यु का परिणाम या नतीजा नहीं कहा जा सकता; भले ही ये राशियाँ मृतक की मृत्यु के बाद ही उसके आश्रितों के हाथों में आती हों।

13. जहाँ तक किसी बीमा पॉलिसी के तहत भुगतान की गई किसी भी राशि का संबंध है, मृतक या उसके आश्रितों की संपत्ति में जो कुछ भी जोड़ा जाता है, वह मृतक की मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि मृतक और उस बीमा कंपनी के बीच हुए अनुबंध के कारण होता है, जिससे उसने पॉलिसी ली थी। मृतक ने इस जीवन बीमा पर प्रीमियम का भुगतान किया था, और यह राशि पॉलिसी के परिपक्व होने पर या उनकी मृत्यु होने पर चाहे उनकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो मृतक की संपत्ति में शामिल हो जाती। ये राशियाँ इसलिए दी जाती हैं, क्योंकि मृतक ने अपनी बचत का निवेश समझदारी से किया था। बैंक जमा, शेयर, डिबेंचर आदि जैसे अन्य निवेशों के मुकदमे में भी स्थिति समान ही होगी। क्षति पहुँचाने वाला व्यक्ति, मृतक द्वारा दिखाई गई दूरदर्शिता और किए गए समझदारी भरे वित्तीय निवेशों का लाभ नहीं उठा सकता।

14. जहाँ तक पेंशन और ग्रेच्युटी की राशियों का संबंध है, इनका भुगतान मृतक द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवा के बदले किया जाता है। सेवा-न्यायशास्त्र का अब यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन और ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति होती हैं। ये ज्यादातर स्थगित वेतन की प्रकृति के होते हैं। मृत कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में काम करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में एक अच्छी-खासी रकम मिलेगी। ये रकम मृत्यु होने पर भी देय होती है, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो। इसलिए, उन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हुए, उक्त रकम में से कोई कटौती नहीं की जा सकती।

15. जैसा कि हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने पेरी बनाम क्लेवर [पेरी बनाम क्लेवर, 1970 AC 1: (1969) 2 WLR 821: 1969 ACJ 363 (HL)] मुकदमे में कहा था, बीमा राशि अतीत में दिए गए

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रीमियम का फल है, पेंशन पहले से दी गई सेवाओं का फल है, और गलत काम करने वाले को, निर्धारित हर्जाने में से इसे घटाकर, इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

16. कटौती का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है, जब अपकृत्यकर्ता न्यायालय को यह संतुष्ट कर दे कि वह राशि दावेदारों को केवल मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के कारण ही प्राप्त हुई है।

7. **हनुमानथाराजू (उपर्युक्त)** मुकदमे में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कि क्या दावेदार को देय पेंशन को उसकी आय की गणना करते समय घटाया जा सकता है, निम्नलिखित निर्णय दिया है:

19. अब यह भी अच्छी तरह से तय हो चुका है कि मुआवज़े की रकम की गणना, वेतनभोगी व्यक्तियों के मुकदमे में, घायल/मृतक की आखिरी वेतन के आधार पर की जाएगी; और पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के ऐसे अन्य लाभों को, जिनका वे उपभोग करते थे, आय की गणना करते समय घटाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कर्मचारी या उसके कानूनी वारिसों को मिलने वाले वैधानिक अधिकार हैं, जो किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना, जानलेवा चोट आदि की घटना से स्वतंत्र होते हैं; और ऐसे पेंशन संबंधी लाभ का मोटर दुर्घटना से सीधा कोई संबंध नहीं होता। इसलिए, पेंशन संबंधी लाभ को 'आर्थिक लाभ' के रूप में नहीं माना जा सकता था, जिसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में मुआवज़े की गणना के उद्देश्य से घटाया जाना चाहिए।

कानून के इस सिद्धांत के लिए, हम विमल कंवर बनाम किशोर दान (2013) 7 SCC 476 के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने, हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र SRTC (1999) 1 SCC 90 के पूर्व निर्णय का संदर्भ देते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"19. उपर्युक्त मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष 'हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र SRTC' [(1999) 1 SCC 90 : 1999 SCC (Cri) 197] मुकदमे में विचारार्थ आया था। उक्त मुकदमे में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और इसी प्रकार कोई भी नकद राशि, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा, आदि—ये सभी मृतक के वारिसों को उसकी मृत्यु के कारण प्राप्त होने वाले "मौद्रिक लाभ" हैं; परंतु इन सभी का उस राशि से कोई सहसंबंध नहीं है जो किसी कानून के तहत केवल दुर्घटनाजन्य मृत्यु के कारण प्राप्त होती है। ऐसी राशि 'मोटर वाहन अधिनियम' के दायरे में नहीं आएगी,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिसे कटौती के योग्य "मौद्रिक लाभ" कहा जा सके। इस न्यायालय की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नलिखित थे: (SCC पृष्ठ 111-12, प्रस्तर 35)"

"35. मोटे तौर पर, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की जाँच कर सकते हैं, जो कि एक विलंबित भुगतान है और कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा-अवधि के दौरान किए गए अंशदान से बनता है। ऐसा कर्मचारी या उसके वारिस, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति के बावजूद, इस राशि को प्राप्त करने के हकदार होते हैं। यह राशि सुरक्षित है और इसका मिलना निश्चित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि अनिश्चित होती है और यह केवल किसी घटना यानी दुर्घटना के घटित होने पर ही प्राप्त होती है; और हो सकता है कि वह घटना कभी घटे ही नहीं। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए अर्जित की जाती है; यह सेवा शर्तों के अनुसार, सेवाकाल के दौरान उसके योगदान के रूप में होती है और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। वारिसों को दुर्घटना में मृत्यु न होने पर भी पारिवारिक पेंशन मिलती है। इन दोनों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है। इसी तरह, जीवन बीमा पॉलिसी या तो बीमित व्यक्ति को मिलती है, या फिर बीमाकर्ता के साथ हुए अनुबंध के आधार पर बीमित व्यक्ति के वारिसों को मिलती है; जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में योगदान देता है। अगर बीमित व्यक्ति सभी प्रीमियम चुकाने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है, तो यह राशि उसे भी मिल सकती है। मृत्यु होने पर, बीमा कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बीमित व्यक्ति के वारिसों को प्रीमियम के बदले में तय राशि का भुगतान करती है। फिर से, यह राशि दावेदार को किसी दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर मिलती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मृत्यु तो केवल राशि प्राप्त करने का एक चरण या एक संभावित घटना मात्र है। इसी तरह, कोई भी नकद राशि, बैंक बैलेंस, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि—भले ही ये सभी किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उसके वारिसों को मिलने वाले आर्थिक लाभ हों—लेकिन इन सभी का उस राशि से कोई संबंध नहीं होता, जो किसी कानून के तहत केवल दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण ही प्राप्त होती है। इतनी बड़ी राशि 'मोटर वाहन अधिनियम' के दायरे में कैसे आ सकती है, ताकि इसे 'आर्थिक लाभ' माना जाए और इस पर कटौती लागू हो? जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत पर विचार करते हैं, तो यह एक समान और एक ही धरातल पर आधारित होना चाहिए—जिसमें दोनों के बीच आपस में कोई सीधा संबंध हो न कि ऐसी स्थिति में, जहाँ दोनों के बीच किसी भी प्रकार के आपसी तालमेल या संबंध का कोई नामोनिशान न हो। बीमित व्यक्ति (मृतक) अपनी स्वयं की राशि का योगदान करता है, जिसके बदले में उसे वह धनराशि प्राप्त होती है जिसका, दुर्घटना

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के कारण अपनी लापरवाही के लिए अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध निर्धारित किए गए मुआवज़े से कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि पहले कहा गया है, इस अधिनियम के तहत मुआवज़े के तौर पर मिलने वाली राशि चोट या मृत्यु के कारण दी जाती है, जिसमें प्राप्तकर्ता का कोई योगदान नहीं होता; ऐसे में, बीमाधारक के योगदान से प्राप्त राशि का लाभ, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि में से कैसे काटा जा सकता है? इस अधिनियम के तहत उसे जो राशि मिलती है, वह बिना किसी योगदान के प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कहा है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिया जाने वाला मुआवज़ा वैधानिक होता है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि संविदात्मक होती है।”

अतः, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि मुआवज़े की गणना के लिए आय या कमाई में हुई हानि को निर्धारित करते समय, भविष्य निधि, पेंशन या बीमा के मद में प्राप्त होने वाली किसी भी राशि को पीड़ित के वेतन से नहीं काटा जा सकता। इस सिद्धांत को रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम शशि शर्मा (2016) 9 SCC 627 और नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम बिरेन्द्र (2020) 11 SCC 356 मुकदमों में पुनः दोहराया गया था।

8. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि दावा मुकदमे में मुआवज़े का आकलन करते समय, दावेदार को दी जाने वाली पेंशन या मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और न ही उसमें से कोई कटौती की जाएगी; बल्कि मुआवज़ा घायल/मृत व्यक्ति के उस वेतन/पेंशन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो उसे दुर्घटना के समय मिल रहा था।

9. प्रस्तुत मुकदमे में, मृतक जयप्रकाश सिंह दुर्घटना के समय लगभग 73 वर्ष के थे और उस समय उन्हें 23,936/- रुपये की सकल पेंशन मिल रही थी; उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी श्रीमती मुग्गी देवी को 14,900/- रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। अतः, अधिकरण ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बीच के अंतर (जो 9,036/- रुपये प्रति माह था) के आधार पर मुआवज़े का आकलन किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जो पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, उसे इस मुकदमे में मुआवज़े का आकलन करते समय बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था; लेकिन 14,900/- रुपये प्रति माह की उस राशि को 23,936/- रुपये प्रति माह की उस पेंशन में से घटा दिया गया है, जो मृतक को दुर्घटना के समय मिल रही थी जो कि एक त्रुटि है।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधि के आलोक में, दावाकर्ता मृतक की मासिक पेंशन (जो कि 23,936/- रुपये थी) के आधार पर मुआवज़ा प्राप्त करने के हकदार हैं।

11. उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 का नियम 220-A (दिनांक 26.09.2011 से प्रभावी) यह अनिवार्य करता है कि, जब दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, तो दावाकर्ता भविष्य की संभावनाओं के आधार पर भी, मृतक की आय के 20% की दर से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।

12. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 SCC 680 के मुकदमे में, वैवाहिक सहचर्य के नुकसान के लिए 40,000 रुपये और सम्पत्ति के नुकसान तथा अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए प्रत्येक मद में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जिसे हर तीन साल के बाद 10% की दर से बढ़ाया जाना है।

13. सुप्रीम कोर्ट ने मैग्मा जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चूहरु राम और अन्य, (2018) 18 SCC 130 के मुकदमे में, पति/पत्नी, माता-पिता और बच्चों के साथ के लिए प्रत्येक को 40,000/- रुपये देने का आदेश दिया है।

14. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गणपतराव साबले बनाम लक्ष्मण मारुति जाधव (मृत) (विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से) और अन्य (2023) 13 SCC 334 के मुकदमे में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

32. प्रस्तुत मुकदमे में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वैवाहिक साहचर्य की हानि के मद में मात्र 5,000 रुपये की राशि प्रदान की थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सभी पारंपरिक मदों के अंतर्गत एक समेकित राशि के रूप में कुल 70,000 रुपये प्रदान किए; जिसमें वैवाहिक साहचर्य की हानि, संपत्ति की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च शामिल थे। प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 SCC 680 : (2018) 3 SCC (Civ) 248 : (2018) 2 SCC (Cri) 205] में, इस कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह नियम बनाया था कि सभी डिपेंडेंट्स को कंसोर्टियम के नुकसान के लिए अलग-अलग अवार्ड किया जाना चाहिए और असल में हर डिपेंडेंट को Rs 40,000 अवार्ड किए थे। इसे ध्यान में रखते हुए, चारों डिपेंडेंट्स में से हर एक को कंसोर्टियम के नुकसान के लिए Rs 40,000 की रकम अवार्ड की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ज़ोर दिया गया)

15. उपरोक्त नियमों के नियम 220-A से यह स्पष्ट है कि मुआवज़ा तय करने के लिए मल्टीप्लायर, 1988 के अधिनियम में दी गई दूसरी अनुसूची के अनुसार ही लगाया जाना है। दुर्घटना के समय, दूसरी अनुसूची लागू थी, जिसके अनुसार, यदि दावेदार/मृतक दुर्घटना के समय 65 वर्ष से अधिक आयु का था, तो दावे के मुकदमे में मुआवज़ा तय करने के लिए 5 का मल्टीप्लायर लगाया जाना है।

16. अगरतला स्थित त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साधना देबनाथ व अन्य (2023 SCC Online Tri 846)** के मुकदमे में, निम्नलिखित निर्णय दिया:-

19. पेंशन भुगतान आदेश पुस्तिका के अनुसार, दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 78 वर्ष थी। अतः, सरला वर्मा (उपर्युक्त) में कॉलम संख्या (4) के अंतर्गत निर्धारित तालिका के अनुसार लागू गुणांक के संदर्भ में, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए गुणांक 5 लागू किया जाना है; इसे अभिलेख पर ले लिया गया है। तदनुसार, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री देब के तर्क के पहले बिंदु का उत्तर दावेदारों के पक्ष में दिया जाता है। यहाँ विद्वान अधिवक्ता श्री देब का यह तर्क कि सरला वर्मा (उपर्युक्त) मुकदमे में 66 वर्ष से 70 वर्ष की आयु-सीमा तक 5 (पाँच) का गुणांक अनुमत है, मान्य नहीं है; क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह बात अन्य मुकदमों के संदर्भ में कही थी। इसलिए, मृतक की आयु 78 वर्ष होने के बावजूद, उसे तालिका के अनुसार '65 वर्ष और उससे अधिक' की श्रेणी में माना गया है; और चूंकि 70 वर्ष तक कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः दावेदारों के मुकदमे पर भी इसी आधार पर विचार किया गया है। तालिका के अनुसार, जीवन-अवधि 70 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। अतः, बीमा-परामर्शदाता की दलील को अस्वीकार किया जाता है।

17. इसी प्रकार, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **सुमित्रा द्वारकानाथ सिरसत व अन्य बनाम शिवानंद हनुमंतप्पा बिसिरोटी व अन्य (2015 SCC Online बाम्बे 276)** के मुकदमे में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15.यह स्वीकार्य है कि मृत्यु के समय मृतक की आयु लगभग 71 वर्ष थी, इसलिए, उचित गुणांक 5 होगा; अतः, आश्रितता की हानि के मद में मुआवज़ा 1,35,000/- रुपये (केवल एक लाख पैंतीस हजार रुपये) बनता है।

18. यह भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-A के अनुसार, चूंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, इसलिए दावेदार उसकी आय के 20% की दर से 'भविष्य की संभावनाओं' के आधार पर मुआवज़ा पाने के हकदार हैं; परंतु अधिकरण द्वारा इस मद में कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नियम में, ऐसी कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके तहत मृतक के भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवज़ा दिया जा सके; अतः, भले ही दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 73 वर्ष रही हो, फिर भी दावेदार उपरोक्त नियमों के अनुसार, मृतक की आय के 20% की दर से उसके भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवज़ा पाने के हकदार थे। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि प्रणय सेठी (उपर्युक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) और राहुल गणपतराव साबले (उपर्युक्त) के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, दावेदार गैर-मौद्रिक मदों के तहत बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पाने के हकदार हैं।

19. उपर्युक्त सांविधिक विधि और उच्चतम न्यायालय के पूर्व-निर्णयों के आलोक में, दावाकर्ताओं को संदेय प्रतिकर का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	मुआवज़े के मद	दी गई राशि (रु. में)	इसके अनुसार
1.	मृतक की पेंशन के अनुसार उसकी मासिक आय	23,936/-	सेबेस्टियानी लाकरा (उपर्युक्त)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



			और हनुमंतराजू (उपर्युक्त)
2.	मृतक की वार्षिक आय	3,936x12=2,87,232/-	सेबेस्टियानी लाकरा (उपर्युक्त) और हनुमंतराजू (उपर्युक्त)
3. लिए 1/4 कटौती	मृतक के निजी खर्चों के (5 आश्रित)	71,808/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
4.	शुद्ध वार्षिक आय, जिस पर दावेदार आश्रित थे	2,15,424/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
5. संभावनाएँ @ 20% जोड़ें, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 73 वर्ष थी	भविष्य की	43,085/-	UP मोटर वाहन नियम, 1998 का नियम 220-A
	दावेदारों की मृतक	2,58,509/-	यूपी मोटर वाहन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6.	पर कुल वार्षिक निर्भरता		नियम, 1998 का नियम 220-A
7.	किया गया, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 73 वर्ष थी	गुणांक लागू 5	अधिनियम की दूसरी अनुसूची
8.	निर्भरता की कुल हानि	दावेदारों को ,58,509X5=12,92,545/-	अधिनियम की दूसरी अनुसूची
9.	(Loss of consortium) @ 40,000/- रुपये प्रति व्यक्ति	साथ (5 का नुकसान दावेदार) 2,00,000/-	40,000 X 5 =
10.	संपत्ति की हानि	15,000/-	जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. 1.	अंतिम संस्कार का खर्च	15,000/-	जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है
1. 2.	कुल मुआवज़ा	15,22,545/-	

20. इस प्रकार, दावाकर्ता कुल 15,22,545/- रुपये के मुआवज़े के हकदार हैं, जिसके साथ दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान होने तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलेगा; इस राशि का भुगतान दोषी वाहन संख्या यूपी-21-बीके-5747 के बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

21. अपील स्वीकार की जाती है। अधिकरण का दिनांक 12.07.2024 का विवादित निर्णय और अधिनिर्णय, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

22. यदि बीमा कंपनी द्वारा पहले कोई राशि भुगतान की गई है, तो वह तदनुसार उसे समायोजित करने की हकदार है। बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह मुआवजे की बढ़ी हुई राशि संबंधित अधिकरण के समक्ष दो महीने के भीतर जमा करे। अधिकरण को यह स्वतंत्रता होगी कि वह दावेदारों की आयु और निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की बढ़ी हुई राशि उन्हें आनुपातिक रूप से प्रदान करे।

दिनांक: 12.01.2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"